(37)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

निग – 2413 – II – 16

प्रकरण क्र.   / 2016

अजब सिंह पुत्र श्री सूरज सिंह, आयु- 55 वर्ष, व्यवसाय- कृषि, निवासी- ग्राम सरखडपुर,तहसील- नरवर,जिला- शिवपुरी (म.प्र.)

..........निगरानीकर्ता

-विरुद्ध-

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा तहसीलदार नरवर जिला शिवपुरी.

2. धनीराम पुत्र श्री राधे कुशवाह, निवासी- ग्राम सरखडपुर,तहसील- नरवर,जिला- शिवपुरी (म.प्र.) ....अनावेदकगण

दिनांक 22.7.16 को श्री चर्ती के द्विवेदी अधि० द्वारा प्रस्तुत

22.7.16

R.K. Dwivedi Adv.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 28-6-2016 प्रकरण क्र. 56/ 2015-16/अ-12 पारित द्वारा तहसीलदार महोदय नरवर जिला शिवपुरी.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी-2413-दो/2016 जिला-शिवपुरी

अजब सिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-05-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार नरवर, जिला-शिवपुरी, के प्रकरण क्रमांक 56/2015-16/अ-12 में पारित आदेश दिनांक 28-06-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी नरवर, जिला- शिवपुरी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 10-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये (आर.के. जैन) सदस्य 15/5/19	